R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XII ◆ अंक 3
सितंबर 2015

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

चिंताग्रस्त आस्तियों को पुनरुज्जीवित करने की रूपरेखा में संशोधन

रिज़र्व बैंक इस रूपरेखा में निम्नलिखित बदलाव/संवर्धन किए जिससे कि इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके:

संयुक्त उधारदाता मंच-अधिकारप्राप्त समूह (जेएलएफ-ईजी)

बैंकों से अपेक्षित है कि वे संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ) की बैठकों में विचार-विमर्श तथा निर्णय प्रक्रिया के लिए पर्याप्त रूप से अधिकारप्राप्त वरिष्ठ स्तरीय अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करें। जेएलएफ सुधारात्मक कार्ययोजना (सीएपी) को अंतिम रूप देगा तथा इसे उधारदाताओं के अधिकारप्राप्त समूह (ईजी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो सीएपी के अंतर्गत पैकेजों में संशोधन/पुनर्संरचना का अनुमोदन करेगा। जेएलएफ-ईजी की संरचना इस प्रकार होगी:

i) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आईसीआईसीआई प्रत्येक बैंक से स्थायी सदस्यों के रूप में एक-एक प्रतिनिधि;

ii) उधारकर्ता के लिए तीन शीर्ष ऋणदाताओं में से एक-एक प्रतिनिधि। यदि एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक उधारकर्ता के लिए तीन शीर्ष ऋणदाताओं में हो, तो चौथे सबसे बड़े बैंक का प्रतिनिधि या चौथे और पांचवे सबसे बड़े ऋणदाता का एक-एक प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो;

iii) अग्रिमों के मामले में दो सबसे बड़े बैंकों का एक-एक प्रतिनिधि जिनके पास उधारकर्ता के प्रति कोई एक्सपोज़र नहीं हो; और

iv) जेएलएफ-ईजी में सहभागिता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कार्यपालक निदेशक या समकक्ष से नीचे स्तर के अधिकारी द्वारा नहीं होगी।

जेएलएफ बुलाने वाला बैंक जेएलएफ-ईजी बुलाएगा तथा सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।

जेएलएफ के अंतर्गत संदिग्ध खातों की पुनर्संरचना

• जबकि सामान्य रूप से संदिग्ध खाते के रूप में वर्गीकृत खाते पर पुनर्संरचना के लिए जेएलएफ द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, किंतु उन मामलों में जहां ऋण का एक छोटा अंश संदिग्ध है अर्थात जो खाता कम से कम 90 प्रतिशत ऋणदाताओं (मूल्य के अनुसार) की बहियों में मानक/अवमानक खाता है, तो ऐसे खाते की पुनर्संरचना के लिए जेएलएफ के अंतर्गत विचार किया जा सकता है।

• जेएलएफ कुछ शर्तों के अधीन एक या अधिक ऋणदाताओं की बहियों में 'संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत खाते की पुनर्संचरना पर निर्णय ले सकता है।

सीएपी के रूप में पुनर्संचरना तथा एग्जिट विकल्प पर असहमति

• वे बैंक जो चाहे 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के न्यूनतम मानदंड के अंदर हो या बाहर, नए या मौजूदा ऋणदाता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अतिरिक्त वित्त की हिस्सेदारी से अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने के लिए एक्जिट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

• हालांकि, सीएपी पर ऋणदाताओं के बीच सर्वसम्मति से निर्णय लेना व्यवहार्य खाते में समय पर बदलाव होने के लिए वांछनीय है, फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि सभी ऋणदाता खाते की व्यवहार्यता और इसके बाद खातों में संशोधन या पुनर्संरचना की सहभागिता पर अपनी स्वतंत्र राय दें और और उन्हें दूसरों द्वारा किए गए प्रयासों पर फ्री-राइड की अनुमति नहीं होगी। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि असहमति दर्शाने वाले ऋणदाता जो सीएपी के रूप में खाते में संशोधन या उसकी पुनर्संरचना में भागीदारी नहीं करना चाहते हैं, जिसमें अतिरिक्त वित्तपोषण शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता, उन ऋणदाताओं के पास सहमत सीएपी के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा के अंदर नए और मौजूदा ऋणदाताओं को अपने एक्सपोज़र की बिक्री कर अपने एक्सपोज़र को पूरी तरह से बाहर निकालने का विकल्प होगा।

रिज़र्व बैंक ने ''मौजूदा दंडात्मक प्रावधानों के आवेदन की अवधि'' और ''कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना'' के संबंध में संशोधित ढांचे में कुछ बदलाव करने के बारे में बैंकों को सूचित किया है।(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10034&Mode=0)

कॉर्पोरेट बाण्डों में आंशिक ऋण संवर्धन

रिज़र्व बैंक ने 24 सितंबर 2015 को सभी बैंकों को अनुमति दी कि वे कतिपय दिशानिर्देशों के अधीन सभी प्रकार की परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए कॉर्पोरेटों/विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) द्वारा जारी बाण्डों में आंशिक ऋण संवर्धन (पीसीई) मुहैया कराएं जिससे कि कॉर्पोरेटों को बाण्डों के वित्तपोषण का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रारंभ में बैंकों को गैर-निधियन वाले अप्रतिसंहरणीय आकस्मिक ऋण के रूप में ही पीसीई का प्रस्ताव करने की अनुमति होगी। बैंकों द्वारा प्रस्तावित आकस्मिक पीसीई के कार्यान्वयन और निष्पादन की समीक्षा करने के बाद पीसीई को वित्तपोषित ऋण सुविधा के रूप में अनुमति देने संबंधी विचार पर समय आने पर ध्यान दिया जाएगा। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10035&Mode=0)

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
• चिंताग्रस्त आस्तियों को पुन रुज्जीवित करने की रूपरेखा में संशोधन	1
• कॉर्पोरेट बाण्डों में आंशिक ऋण संवर्धन	1
• बैंकों द्वारा इक्विटी निवेश	2
• सीईओ/पूर्णकालिक निदेशकों को ऋण प्रदान करने पर दिशानिर्देश	2
• लघु वित्त बैंकों के लिए 10 आवेदकों को सैद्धांतिक अनुमोदन	3
चौथा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16	**2**
मुद्रा प्रबंधन	
• भारतीय रिज़र्व बैंक तीन अतिरिक्त विशेषताओं के साथ बैंकनोट जारी करेगा	3
• जाली नोटों कीपहचान	3
भुगतान और निपटान प्रणालियां	
• टीयर III से VI तक के केंद्रों पर नकदी आहरण की सीमा बढ़ाई गई	3
• ईएमवी चिप और पिन कार्ड जारी करना	4
• आरटीजीएस टाइम विंडो में परिवर्तन	4
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
• एमएसई को समय पर और पर्याप्त ऋण वितरण	4
विदेशी मुद्रा प्रबंधन	
• रिज़र्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)के प्रारूप ढांचे पर प्रतिसूचना	4
• अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता - 2015-16	4

चौथा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16

रिज़र्व बैंक ने वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर 29 सितंबर 2015 को घोषित अपने चौथे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16 में निर्णय लिया है कि:

• चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर को 7.25 प्रतिशत से 50 आधार अंक घटाकर तत्काल प्रभाव से 6.75 प्रतिशत किया जाए;

• नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवल मांग और समय देयता (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए;

• नीलामियों के माध्यम से एलएएफ रिपो दर पर बैंक-वार एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत पर ओवरनाइट रिपो तथा बैंकिंग प्रणाली के एनडीटीएल के 0.75 प्रतिशत तक 14-दिवसीय मीयादी रिपो के अंतर्गत चलनिधि उपलब्ध कराना जारी रखा जाए; तथा

• चलनिधि की निर्बाध उपलब्धता के लिए दैनिक परिवर्तनीय दर रिपो और प्रतिवर्ती रिपो को जारी रखा जाए।

• परिणामस्वरूप, एलएएफ के अंतर्गत प्रतिवर्ती रिपो दर 5.75 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी तथा सीमांत स्थायी सुविधा दर और और बैंक दर 7.75 प्रतिशत रहेंगी।

विकासात्मक और विनियामक नीतियां

बैंकिंग संरचना

• रिज़र्व बैंक ने आधार दर, जो कि निधियों की उनकी सीमांत लागत पर आधारित है, के परिकलन पर बैंकों के लिए दिशानिर्देशों का प्रारूप राय जानने के लिए उपलब्ध कराया है।

• आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुपालन के संबंध में अधिक पारदर्शिता लाने, बेहतर अनुशासन तथा अन्य स्टेकधारकों को शामिल करने के लिए रिज़र्व बैंक विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक अंतर पाए जाने की स्थिति में बैंकों के वित्तीय विवरणों में बताई जाने वाली लेखा टिप्पणियों में कतिपय प्रकटीकरणों को अनिवार्य बनाएगा।

• आर्थिक रूप से कमजोर तबकों और निम्न आय समूहों के लिए ''कम लागत के आवास की वहनीयता'' में सुधार लाने तथा ''सभी के लिए घर'' को बढ़ावा देने की दृष्टि से और साथ विवेकपूर्ण आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि निम्न मूल्य के, किंतु अच्छे ढंग से संपार्श्वीकृत वैयक्तिक आवास ऋणों के लिए लागू जोखिम भारों में कटौती की जाए।

• एचटीएम के तहत एसएलआर प्रतिभूतियों की सीमा को 9 जनवरी 2016 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से 22 प्रतिशत से घटाकर 21.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद एसएलआर और एचटीएम दोनों की सीमा में 31 मार्च 2017 तक प्रत्येक तिमाही में 0.25 प्रतिशत की कमी की जाएगी।

• रिज़र्व बैंक स्वयं के साइबर संबंधी उपायों में रिज़र्व बैंक को सहायता प्रदान करने के साथ ही साथ बैंकों की तैयारी की निगरानी करने और प्रणालीगत कमजोरियों को पहचान करने के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सहायक संस्था की स्थापना कर रहा है।

• रिज़र्व बैंक 1 जनवरी 2016 तक अपने सभी मास्टर विनियमों को अद्यतन करेगा तथा विनियमों के अनुपालन के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं को सुचारूबनाएगा। सभी मास्टर विनियमों को पूर्णतः अद्यतन किया जाएगा और उनको ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। रिज़र्व बैंक विनियामक संवादों में स्पष्टता को बढ़ाने का भी प्रयास करेगा।

वित्तीय बाजार

• विदेशी संविभाग निवेशकों(एफपीआई) द्वारा निवेश की अधिक पूर्वानुमान करने योग्य व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से ऋण प्रतिभूतियों की एफपीआई सीमाओं के लिए सरकार से परामर्श करते हुए मध्यावधि ढांचा (एमटीएफ) तैयार किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य रूप से निर्धारित करता है - (i) आगे से, ऋण प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश की सीमाएं रुपये में मूल्यवर्गित कर घोषित/निर्धारित की जाएंगी; (ii) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश की सीमाओं को चरणबद्ध ढंग से बढ़ाकर मार्च 2018 तक बकाया भंडार के 5 प्रतिशत तक किया जाएगा।

• भारतीय कॉर्पोरेटों को विदेश स्थित केंद्रों में न्यूनतम पांच वर्षों की परिपक्वता अवधि वाले रुपया में मूल्वर्गित बाण्ड जारी करने की अनुमति होगी और यह विदेशी निवेश की अनुमेय सीमाओं (वर्तमान में 51 बिलियन अमरीकी डॉलर) के अंतर्गत होगी। छोटी सी प्रतिरोधात्मक सूची को छोड़कर, निधियों के अंतिम प्रयोग पर कोई पाबंदी नहीं होगी। विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

• रिपो बाजार को और विकसित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के परामर्श से कॉर्पोरेट बाण्डों में इलेक्ट्रॉनिक निपटान मंचों की शुरुआत करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया जाएगा।

मुद्रा प्रबंधन

• इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और लेनदेन के लिए कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक देश में, विशेषकर टीयर III से टीयर VI तक के केंद्रों में कार्ड स्वीकृति के बुनियादी ढांचे के प्रसार के लिए सार्वजनिक डोमेन में एक अवधारणा पत्र नवंबर 2015 के अंत तक जारी करेगा। (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=35087)

बैंकों द्वारा इक्विटी निवेश

रिज़र्व बैंक ने 16 सितंबर 2015 को उन बैंकों को सूचित किया है जिनके पास जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात(सीआरएआर) 10 प्रतिशत या इससे अधिक है और पिछले वर्ष के 31 मार्च तक निवल लाभ भी कमाया है, उन्हें उन मामलों में इक्विटी निवेश के लिए पूर्व अनुमति हेतु रिज़र्व बैंक से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है जहां ऐसे निवेश के बाद बैंक की धारिता निवेश करने वाली कंपनी की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से कम है और इसकी सहायक संस्थाओं या संयुक्त उद्यमों को मिलाकर बैंक की धारिता निवेश करने वाली कंपनी की चुकता पूंजी के 20 प्रतिशत से कम है। इस निर्णय के पीछे औचित्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक परिचालनात्मक स्वतंत्रता तथा लचीलापन प्रदान करना था। यह निवेश मौजूदा विवेकपूर्ण सीमाओं और मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन जारी रहेगा। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10026&Mode=0)

सीईओ/पूर्णकालिक निदेशकों को ऋण प्रदान करने पर दिशानिर्देश

मौजूदा प्रक्रियाओं को सरल बनाने और मामला दर मामला आधार पर रिज़र्व बैंक से संपर्क करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति दी है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लिए बिना मुख्य कार्यपालक अधिकारी/पूर्णकालिक निदेशकों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान कर सकते हैं :

(क) कार खरीदने के लिए ऋण, कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण, फर्नीचर खरीदने के लिए ऋण, व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर का निर्माण करने/अधिगृहीत करने के लिए ऋण, त्यौहार अग्रिम और क्रेडिट कार्ड सुविधा के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड सीमा जैसे ऋण प्रदान किए जा सकते हैं।

(ख) ऋण और अग्रिम क्षतिपूर्ति/पारितोषिक नीति के अंश होंगे जिन्हें निदेशक बोर्ड या बोर्ड की अन्य समिति जिसे शक्तियां प्रदान की गई हो या नियुक्ति समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(ग) आधार दर संबंधी दिशानिर्देश ऐसे ऋण पर वसूले जाने वाले ब्याज पर लागू नहीं होंगे। तथापि, ऐसे ऋण पर वसूली जाने वाली ब्याज दर बैंक के कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण पर वसूली जाने वाली दर से कम नहीं हो सकती है।

(घ) निदेशकों को अन्य कोई ऋण मंजूर नहीं किया जा सकता है।(https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10025&Mode=0)

मुद्रा प्रबंधन

भारतीय रिज़र्व बैंक तीन अतिरिक्त विशेषताओं के साथ बैंक नोट जारी करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक महात्मा गांधी श्रृंखला 2005 में ₹100, ₹500 और ₹1000 के मूल्यवर्ग में बैंकनोट जारी करेगा जिनमें नया सख्या पैटर्न और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विशेष विशेषताएं होंगी।

• नए संख्या पैटर्न में इन मूल्यवर्गों के नोटों में दोनों संख्या पैनलों में संख्या का आकार बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में होगा जबकि पहले तीन अल्फा-न्यूमरिक अक्षरों का आकार समान रहेगा। बढ़ते आकार में संख्या मुद्रित करना इन बैंक नोटों की एक दृश्य सुरक्षा विशेषता है जिससे कि आम व्यक्ति आसानी से असली नोट और नकली नोट में अंतर समझ सके।

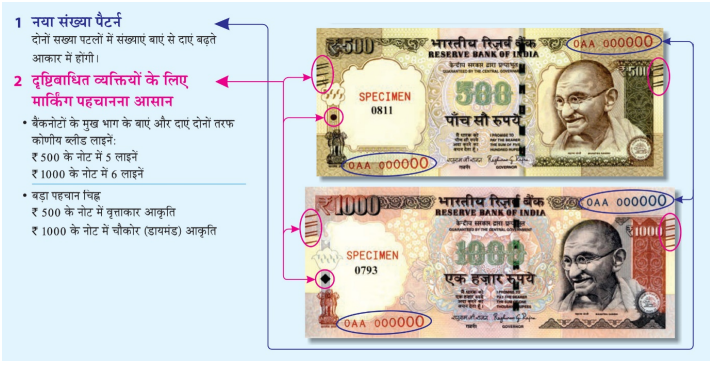

• दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विशेष विशेषताएं शुरू की गई हैं जिससे कि वे बैंकनोटों को आसानी से पहचान सकें। ₹100, ₹500 और ₹1000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में पहचान चिह्न को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

• कोणीय ब्लीड लाइनें - ₹100 के नोट में दो ब्लॉकों में 4 लाइनें, ₹500 के नोट में तीन ब्लॉकों में 5 लाइनें, ₹1000 के नोट में चार ब्लॉकों में 6 लाइनें भी शुरू की गई हैं।

महात्मा गांधी श्रृंखला 2005 में जारी किए जाने वाले ₹100, ₹500 और ₹1000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का डिज़ाइन अन्य सभी प्रकार से वैसा ही रहेगा। रिज़र्व बैंक द्वारा इन मूल्यवर्गों में विगत में जारी किए गए सभी बैंकनोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अपनी सभी शाखाओं में उचित अनुदेश जारी करें जिसमें उपर्युक्त बदलावों की जानकारी दी जाए जिससे कि आम जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त, उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चत करें कि उनकी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली नोट सोर्टिंग/डिटेक्शन मशीनों को इस तरह से उचित रूप से तैयार किया जाए कि वे इन बैंकनोटों की प्रोसेसिंग कर सकें।

जाली नोटों की पहचान

रिज़र्व बैंक ने 27 अगस्त 2015 को भारत सरकार के साथ विचार विमर्श से जाली नोटों की पहचान की प्रक्रिया की समीक्षा की और व निम्नानुसार सूचित किया :

• काउंटर पर प्रस्तुत किए गए अथवा बैंक ऑफिस / मुद्रा तिजोरी में थोक निविदा के माध्यम से प्राप्त बैंक नोटों की प्रमाणिकता के लिए मशीनों द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए। इस तरह जाली नोट के रूप में वर्गीकृत नोटों पर "जाली बैंकनोट" स्टैम्प से चिन्हित कर उन्हें जब्त किया जाए ।

• जब बैंक शाखा के काउंटर पर या कोषागार में प्रस्तुत बैंकनोट जाली पाये जाते हैं, तब नोट पर स्टैम्प लगाने के बाद, निविदाकर्ता को निर्धारित फॉर्मेट में प्राप्ति सूचना रसीद जारी की जानी चाहिए। काउंटर पर प्राप्त निविदा में या बैंक ऑफिस / मुद्रा तिजोरी में यदि कोई जाली नोट प्राप्त होते हैं, तो उनके लिए ग्राहक के खाते में कोई क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए ।

• पहचान किए गए और रिपोर्ट किए गए जाली नोटों के अनुमानित मूल्य की बैंकों को क्षतिपूर्ति करने तथा बैंकों के जाली नोट सतर्कता कक्ष द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने की प्रणाली के संबंध में जारी अनुदेशों को रद्द कर दिया गया है।

जाली नोटों के अनुमानित मूल्य की मात्रा तक हानि की वसूली के अलावा, जाली नोटों के अनुमानित मूल्य का 100% दंड लगाया जाएगा। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10002&Mode=0)

भुगतान और निपटान प्रणालियां

टीयर III से VI तक के केंद्रों पर नकदी आहरण की सीमा बढ़ाई गई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अगस्त 2015 को टीयर-III से VI तक के बिक्री केंद्रों (पीओएस- भारत में बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले डेबिट कार्डों और ओपन सिस्टम प्री-पेड कार्डों के लिए) पर नकदी आहरण की सीमा की समीक्षा की और टीयर-III से VI तक के बिक्री केंद्रों (पीओएस) पर प्रतिदिन नकदी आहरण की सीमा ₹1000/- से ₹2000/- तक बढ़ा दी है। ₹1000/- ₹2000/- की सीमा के बावजूद सभी केंद्रों में ग्राहक से नकदी आहरण के लिए , लिए जाने वाले प्रभार, यदि कोई हों, लेनदेन की राशि के एक प्रतिशत से अधिक न हों। कार्डधारक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वे खरीद करते हों या नहीं। बैंकों को सूचित किया गया है कि नकदी आहरण के आंकड़े मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400 001 को त्रैमासिक आधार पर तिमाही की समाप्ति से 15 दिनो के अंदर प्रपत्र के अनुसार भेजे जाए। नकदी आहरण की ऐसी सुविधा निर्धारित शर्तों के अधीन बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10004&Mode=0)

लघु वित्त बैंकों के लिए 10 आवेदकों को सैद्धांतिक अनुमोदन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 नवंबर 2014 को जारी 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस देने संबंधी दिशानिर्देशों' के अंतर्गत लघु वित्त बैंकों की स्थापना के लिए 16 सितंबर 2015 को 10 आवेदकों को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया। ये हैं :

1. एयू फाइनेन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर
2. कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, जालंधर
3. दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद
4. इक्विटास होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै
5. ईएसएएफ माइक्रोफाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै
6. जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, बंगलुरु
7. आरजीवीएन (नार्थ ईस्ट) माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड, गुवाहाटी
8. सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई
9. उज्जीवन फाइनेंशयल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, बंगलुरु
10. उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी

'सैद्धांतिक' अनुमोदन की 18 माह की वैधता के दौरान आवेदकों को दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित अपेक्षाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन के अंश के रूप में निर्धारित अपेक्षित शर्तों पर आवेदकों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संतुष्ट हो जाने के बाद रिज़र्व बैंक उन्हें बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने पर विचार करेगा। जब तक नियमित लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाता है तब तक आवेदक बैंकिंग कारोबार शुरू नहीं कर सकेंगे।

भविष्य में रिज़र्व बैंक इस लाइसेंसिंग दौर से मिलने वाली सीख का उपयोग दिशानिर्देशों को समुचित रूप से संशोधित करने तथा वास्तव में नियमित रूप से ''ऑन टैप'' आधार पर लाइसेंस देते रहने में करना चाहता है। (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=35010)

ईएमवी चिप और पिन कार्ड जारी करना

रिज़र्व बैंक ने 27 अगस्त 2015 को बैंकों को सभी नए ईएमवी चिप और पिन कार्ड - डेबिट और क्रेडिट, घरेलु और अंतरराष्ट्रीय - जारी करने के लिए स्वीकृत समयावधि में वृद्धि की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) / मौलिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) / अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जारी कार्डों के लिए समयसीमा 30 सितंबर 2016 तक और उपर्युक्त से अन्य सभी कार्डों के लिए 31 जनवरी 2016 तक बढ़ा दी गई है। उपर्युक्त रूप से बढ़ाई गई अवधि में ग्राहकों से ईएमवी चिप और पिन कार्ड के लिए विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर बैंकों द्वारा शीघ्रता से अनुपालनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय प्रयोग के लिए अनिवार्यतः केवल ईएमवी चिप और पिन कार्ड ही जारी किए जाए। इसके अलावा कार्ड की वैधता के बावजूद जारी किए गए मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड 31 दिसंबर 2018 तक बदली कर दिए जाए। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10003&Mode=0)

आरटीजीएस टाइम विंडो में परिवर्तन

भारतीय रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस प्रणाली के सभी प्रतिभागियों को 1 सितंबर 2015 से आरटीजीएस टाइम विंडो में किए गए निम्नानुसार संशोधन सूचित किए :

दैनिक कार्य	माह के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर अन्य शनिवारों सहित नियमित दिन
कारोबार हेतु आरंभ होने का समय	08:00 बजे
प्रारंभिक कट-ऑफ (ग्राहक लेनदेन)	16:30 बजे
अंतिम कट-ऑफ (अंतर-बैंक लेनदेन)	19:45 बजे
आईडीएल प्रत्यावर्तन	19:45 बजे - 20:00 बजे
दिन की समाप्ति	20:00 बजे

भारत सरकार द्वारा बैंकों के लिए दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी घोषित किए जाने के परणिामस्वरूप समय में ये परिवर्तन किए गए । इसलिए भविष्य में दूसरे और चौथे शनिवार को पड़नेवाले वैल्यू दिनांकित लेनदेनों पर आरटीजीएसप्रणाली के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जाएगी। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10012&Mode=0)

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग

एमएसई को समय पर और पर्याप्त ऋण वितरण

रिज़र्व बैंक ने 27 अगस्त 2015 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया कि वे एमएसई क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को समय पर और पर्याप्त ऋण वितरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के स्थूल विवेकपूर्ण विनियमों के भीतर यथोचित प्रणाली अपनाते हुए माइक्रो और लघु उद्यमियों को उधार देने के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति स्थापित करें। दिशानिर्देशों में शामिल हैं :

(i) आपाती ऋण सुविधा - बैंक एमएसई को उधार देने की अपनी नीति के एक भाग के रूप में कार्यशील पूंजी के निधियन के समय कार्यशील पूंजी व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि के निधियन हेतु 'आपाती ऋण सुविधा' उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही बैंक आवधिक पूंजी व्यय के निधियन के लिए भी अपने विवेकाधिकार पर ऐसी 'आपाती ऋण सुविधा' मंजूर कर सकते हैं। ऐसी 'आपाती ऋण सुविधा' मंजूर करने का उद्देश्य, अन्यों के साथ, त्वरित ऋण देना है ताकि पूंजी आस्ति निर्माण में विलंब न हो और वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारंभ शीघ्रातिशीघ्र किया जा सके।

(ii) कार्यशील पूंजी सीमाएं - बैंक एमएसई को उधार देने की अपनी नीति में कार्यशील पूंजी सीमाओं की मंजूरी/नवीकरण के समय, विशेषतः उनके द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए मांग में मुख्यतः अप्रत्याशित/मौसमी वृद्धि के कारण कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं में होने वाली अस्थायी वृद्धि की पूर्ति करने के लिए अलग अतिरिक्त सीमा निश्चित करने की नीति समाविष्ट कर सकते हैं।

(iii) नियमित कार्यशील पूंजी सीमाओं की समीक्षा - जहां बैंक आश्वस्त हो कि एमएसई उधारकर्ताओं की मांग के स्वरूप में परिवर्तनों के कारण उधारकर्ताओं की मध्यावधि समीक्षा करना आवश्यक है वहां बैंक ऐसा कर सकते हैं। ऐसी मध्यावधि समीक्षा एमएसई की पिछली समीक्षा के बाद बिक्री निष्पादन के आकलन पर आधारित हो सकती है जो लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतीक्षा किए बिना की जाए।

(iv) ऋण निर्णयों के लिए सामयिकता -बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एमएसई क्षेत्र से संबंधित सभी ऋण संबंधी मामलों की समग्र रूप से निगरानी के लिए एक संरचित निगरानी तंत्र स्थापित करें, आवेदन पत्रों का बारीकी से ट्रैक रखने और तेजी से निपटान सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऋण प्रस्ताव ट्रैकिंग प्रणाली (सीपीटीएस) स्थापित करें, ऋण आवेदन पत्र स्वीकार करते समय ही ₹2 लाख तक के ऋण आवेदन पत्र का निपटान कितने समय में किया जाएगा उसे निर्दिष्ट किया जाए, ऋण निर्णय सूचित करने की सामयिकता को अपनी वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, उत्पाद सामग्री, आदि के माध्यम से यथोचित प्रकट किया जाए । बैंकों को सूचित किया गया कि वे एमएसई उधारकर्ताओं के लिए ऋण सुविधाओं (नियमित, अतिरिक्त/तदर्थ ऋण सुविधाएं और खातों की पुनर्संरचना, यदि अर्थक्षम पाई जाती है) के संबंध में उपर्युक्त प्रणालियां तत्काल प्रभाव से स्थापित करें।

(https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser aspx?Id = 10000&Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

रिज़र्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)के प्रारूप ढांचे पर प्रतिसूचना मांगी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के प्रारूप ढांचे को राय/प्रति सूचना प्राप्त करने के लिए 23 सितंबर 2015 को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया। प्रारूप ढांचे पर राय/प्रति सूचना ई-मेल से fedcoecbd@rbi.org.in पर या डाक से प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 11वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400 001 को 11 अक्टूबर 2015 को या इससे पहले भेजी जा सकती हैं।यह ईसीबी नीति को एक अधिक तर्कसंगत तथा उदार ढांचे के साथ विस्थापित करने के लिए किया गया प्रयास है जिसके लिए उभरती घरेलू और वैश्विक समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिति, बाह्य क्षेत्र के प्रबंध में सामना की जाने वाली चुनौतियों और ईसीबी नीति के संचालन में अब तक प्राप्त किए गए अनुभव को ध्यान में रखा गया है।

(https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=35057)

अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता - 2015-16

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता 2015-16 के लिए 24 सितंबर 2015 को निम्नलिखित विषय घोषित किए हैं :

1. वित्तीय समावेशन की मुहिम और प्रधानमंत्री जन-धनयोजना
2. पेमेंट बैंक की अवधारणा - वित्तीय समावेशन के परिप्रेक्ष्य में
3. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग - अवसर और चुनौतियां

प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता में राजभाषा अधिकारियों और अनुवादकों को छोड़ कर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों (उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), सरकारी वित्तीय संस्थाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी कर्मचारी भाग लेने के लिए पात्र हैं।

प्रतियोगिता मातृभाषा के अनुसार (i) हिंदी भाषियों, (ii) मराठी, पंजाबी और गुजराती भाषियों तथा (iii) उक्त (i) एवं (ii) को छोड़कर अन्य भाषा-भाषियों के लिए अलग-अलग आयोजित की जाएगी। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के लिए क्रमशः ₹11000, ₹7000 और ₹5000 का नकदी पुरस्कार दिया जाएगा।

अपनी मातृभाषा का उल्लेख करते हुए प्रतिभागी उपर्युक्त तीन विषयों में से किसी भी विषय पर लगभग 3000 से 4000 शब्दों में निबंध महाप्रबंधक, राजभाषा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय कार्यालय, सी-9, दूसरी मंजिल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 को 16 नवंबर 2015 तक भेज सकते हैं ।

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**